झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016

झारखण्ड निजी साहूकार (निषेध) विधेयक, 2016

झारखण्ड राज्य में निजी साहूकारी निषेध हेतु निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ -**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड साहूकार निजी (निषेध) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषायें** :- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में -

(क) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ख) **"बैंक"** से अभिप्रेत है -

(i) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित एक बैंकिंग कम्पनी।

(ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सबसीडियरी बैंक्स) ऐक्ट 1959 के धारा-2 के K में परिभाषित एक सबसीडियरी बैंक।

(iv) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1970 (ऐक्ट 5, 1970) के अधीन गठित नया बैंक।

(v) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (सी-iv) में परिभाषित एक प्राथमिक साख समिति।

(vi) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (बी-ii) में परिभाषित एक सहकारी बैंक।

(vii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के अधीन गठित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

(viii) एग्रिकल्चर रिफिनान्स ऐंड डेवलमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन गठित एग्रिकल्चर रिफिनान्स कारपोरेशन।

(ix) लाईफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 के अधीन गठित लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया।

(x) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

(xi) जरनल इन्श्योरेंन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया।

(xii) रिजिनल रूरल बैंक अधिनियम, 1976 (सेंट्रल ऐक्ट 21, 1976) के अंतर्गत रिजिनल रूरल बैंक।

(xiii) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1980 (सेन्ट्रल ऐक्ट 40, 1980) के अंतर्गत गठित कॉरेस्पोंडिंग नया बैंक।

(xiv) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1964 (सेंट्रल ऐक्ट 18, 1964) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।

(xv) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 61, 1981) के अंतर्गत गठित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट।

(xvi) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 11, 1959) के अंतर्गत गठित एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ।

(xvii) इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1948 (सेन्ट्रल ऐक्ट 15, 1948) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।

(xviii) स्टेट फाईनान्सियल कॉरपोरेशन ऐक्ट, 1951 (सेन्ट्रल ऐक्ट 63, 1951) के अंतर्गत गठित स्टेट फाईनान्सियल कॉरपोरेशन।

(xix) इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1984 (सेन्ट्रल ऐक्ट 62, 1984) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया।

(xx) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (सेन्ट्रल ऐक्ट 7, 1913) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंभेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(xxi) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एग्रीकल्चरल फाईनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड।

(ग) **"उधार"** से अभिप्रेत है किसी साहूकार द्वारा ब्याज पर दिया गया कोई उधार, चाहे वह नगद के रूप में दिया गया हो या वस्तु के रूप में और इसके अन्तर्गत मन, इयोढा, सवैया, रेहन, बन्धकी, पौनी, सूद भरना, किस्ती तथा किसी विगत दायित्व के सम्बन्ध में निष्पादित किसी ब्याज प्रदायबंधपत्र पर किया गया कोई ऐसा संव्यवहार है, जो सारतः उधार हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे :-

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया उधार।

(ख) किसी डाकघर बचत बैंक में धन का निक्षेप अथवा किसी अन्य बैंक या किसी कम्पनी में अथवा बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के

अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जानेवाली किसी सहकारी सोसाइटी में धन या किसी अन्य संपत्ति का निक्षेप के आलोक में ऋण या अग्रिम,

(ग) इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत निबंधित पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया ऋण।

(घ) भविष्य निधि खाते में जमा निधि से ग्राहक या जमाकर्ता को नियमानुसार दिया गया अग्रिम।

(ङ) इंश्योरेंस ऐक्ट, 1938 (सेंट्रल ऐक्ट iv 1938) के अंतर्गत इंस्योरेंस कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण।

(च) बैंक द्वारा दिया गया ऋण।

(घ) **"निजी साहूकार"** से अभिप्रेत है उधार देनेवाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह और इसके अन्तर्गत अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा विरासत या समनुदेशन द्वारा या अन्यथा वैध प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी भी है, किन्तु इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बैंक या वित्त निगम या सहकारी समिति के रूप में निगमित कोई कॉरपोरेशन एवं निबंधित वित्तीय संस्थान नहीं होगा।

(ङ) **"ब्याज"** से अभिप्रेत है ब्याज की दर और इसके अन्तर्गत वस्तुतः उधार दिए गए धन के अतिरिक्त वापस की जानेवाली रकम भी है, चाहे वह ब्याज के रूप में या अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से प्रभारित की जाय या वसूल की जानेवाली हो,

(च) **"साहूकारी का व्यवसाय"** से अभिप्रेत है नगद या वस्तु के रूप में अग्रिम ऋण का व्यवसाय।

3. **इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऋण की छूट** - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी कारण विशेष या एक से अधिक कारणों, जो अधिसूचना में उल्लेखित

होगा, किसी प्रकार के ऋण को सम्पूर्ण झारखंड राज्य में इस अधिनियम के सभी अथवा किसी एक प्रावधान के अंतर्गत छूट दे सकती है ।

4. **साहूकारी का निषेध** - कोई व्यक्ति नगद या वस्तु के रूप में यूसूफ़क्चुवरी भोग बन्धक या स्वर्ण, आभुषण या कोई अन्य सामग्री का प्रतिज्ञा से संबन्धित साहूकारी का व्यवसाय नहीं करेगा।

5. **सजा -**

(i) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा (4) का उल्लंघन कर साहूकारी का व्यवसाय करेगा तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रूपये तक का अर्थ दण्ड की सजा देय होगा।

(ii) यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत सजा प्राप्त है एवं दोबारा दोषसिद्धि किया जाता है तो उसे पांच वर्ष तक का कारावास एवं दस हजार रूपये का आर्थिक दण्ड देय होगा।

6. **अपराध का संज्ञान -**

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रावधानों के बावजूद।

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा।

(ख) कोई न्यायालय निम्नलिखित के अतिरिक्त संज्ञान नहीं लेगा -

(i) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, पुलिस रिपोर्ट पर

(ii) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर

(2) इस अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अशमनीय होगा।

7. **नियम बनाने की शक्ति** - इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली गठित कर सकती है।

8. **निरसन** - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 (अधिनियम सं0-22, 1975) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

9. **व्यावृत्ति** - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 के निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये सभी कार्य, कृत कार्रवाई, दायित्व एवं देनदारियाँ, नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति, प्रदत्त क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ, निर्गत आदेश एवं अधिनियम से संबंधित गठित नियम या विनियम जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

उक्त निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर किसी न्यायालय एवं अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित सभी सूट या अन्य कार्यवाहियाँ जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

बशर्ते कि सूट एवं अन्य कार्यवाहियाँ के संदर्भ में उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील एवं रिविजन से संबंधित प्रावधान जारी रहेंगे, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

पुनः बशर्ते कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये भोग बंधक या प्रतिज्ञा जारी रहेंगे एवं उसका निराकरण तथा छुड़ाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।